संख्या- /58-2-2018-600(7)/2017

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ, दिनांक, 15 ~~फरवरी~~ मार्च, 2018

विषयः- उ0प्र0खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, तीन दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता कार्यक्रम तथा लघु प्रसंस्करण इकाईयों की स्थपना हेतु सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 शासनादेश संख्या-33/2017/1105/58-2--2017-600(7)/2017, दिनांक 27.10.2017 द्वारा प्रख्यापित की गई है।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को बढ़ावा एवं कौशल विकास को प्रोत्साहित करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, तीन दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता कार्यक्रम तथा लघु प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिये निम्नानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगीः-

1. **खाद्य प्रसंस्करण में डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृजनः-** राजकीय संस्थानो को और अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सृजन प्रयोगशाला उपकरण/तकनीकी/शैक्षिक पुस्तकें, मैगजीन, ई- जरनल एवं जरनल इत्यादि के क्रय हेतु अधिकतम् रू0 75.00 लाख का अनुदान देय है। इन संस्थानों द्वारा भूमि, भवन, मानव संसाधन एवं अन्य आवर्ती व्ययों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। तकनीकी/शैक्षिक पुस्तकों, मैगजीन, ई- जरनल एवं जरनल इत्यादि की लागत मशीन उपकरणों की लागत के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. **तीन दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता कार्यक्रमः-** प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार एवं इच्छुक लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम के संचालन हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधीन स्थापित मण्डलीय/जनपदीय केन्द्रों द्वारा संचालित किया जायेगा।

3. **प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं लघु प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापनाः-** प्रदेश में तीन दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण जागरूकता कार्यक्रम एवं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित प्रशिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 1.0 लाख का अनुदान के रूप में देय होगा।

4. भारत/राज्य सरकार अथवा अन्य श्रोतों से इस कार्य हेतु प्राप्त अनुदान की राशि किसी भी दशा में कुल अनुमन्य लागत का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। यह सुविधा इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष दिनांक 26.10.2022 तक अनुमन्य होगी।

...2/-

5. इस योजना का संचालन खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय द्वारा किया जायेगा जो इस अनुमन्य प्राविधान के लिये प्राधिकृत होगा।

भवदीय,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

पृ.सं. 340 (1)/58-2-2018, तद्दिनांक

1. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमती नगर, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।
9. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
10. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उ0प्र0,लखनऊ।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उ0प्र0।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1
13. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 36 /2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

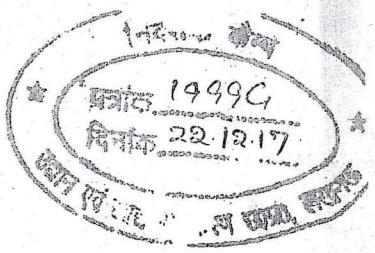

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊः:दिनांकः 21 दिसम्बर, 2017**

विषय :- उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधिसूचना संख्या-33/17/1105/ 58-2-2017-600(7)/2017, दिनांकः 27.10.2017 द्वारा प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किया जा रहा है जो निम्नवत है :-

1. **नीति की अवधि/प्रस्तावों की पात्रता :** इस योजना के अन्तर्गत वह खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां पात्र होंगी जो अधिसूचना संख्या-33/2017/ 1105/58-2-2017-600(7)/2017 दिनांक 27.10.2017 की तिथि से पॉच वर्ष तक की अवधि में प्लांट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गये सावधि ऋण (टर्म लोन) की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी हो 05 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।

2. **वित्तीय अनुदान एवं रियायतें :**

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को रियायतें एवं अनुदान सुविधायें अनुमन्य होंगी :-

2.1 पूँजीगत निवेश अनुदान :-

(क) खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाईयों की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/उन्नयन पर प्लान्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू. 50 लाख की सीमा तक दो समान किश्तों में अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

उद्यमी के पास ज्ञात स्त्रोतों से परियोजना हेतु धनराशि की उपलब्धता होने की स्थिति में ऋण लेने की अनिवार्यता नहीं होगी।

(ख) भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास स्कीम) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली फल एवं शाकभाजी प्रसंस्करण आधारित (नवीन/विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/ उन्नयन) इकाईयों को प्लान्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजीगत निवेश अनुदान दो समान किश्तों में उपलब्ध कराया जायेगा।

(ग) भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना में स्वीकृत उत्तर प्रदेश की मेगा फूड पार्क परियोजनाओं, जिनमें पात्र परीयोजना लागत न्यूनतम पूंजी निवेश रू. 50 करोड़ या अधिक हो, को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान भारत सरकार के पैटर्न पर 4 (चार) किश्तों (30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत व 20 प्रतिशत) में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

परन्तु, प्रस्तर-2.1 (क) में प्राविधानित सुविधा प्रस्तर-2.2 (ख एवं ग) से आच्छादित प्रस्तावों को अनुमन्य नहीं होगी।

2.2 ब्याज उपादान :

(क) योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा स्थापित किये गये प्लांट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्टस पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर का शत-प्रतिशत अधिकतम 05 वर्ष तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ख) अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों द्वारा स्थापित किये गये प्लांट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्टस पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक ब्याज की दर से, जो भी कम हो, अधिकतम 05 वर्ष हेतु अधिकतभ सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रू0 50 लाख की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

परन्तु, प्रस्तर-2.1 (क) में प्रस्तावित पूंजीगत उपादान एवं प्रस्तर-2.2 में प्रस्तावित बैंकों व वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने की दशा में अनुमन्य ब्याज उपादान सहित पांच वर्षों में अधिकतम धनराशि रू. 250 लाख की सीमा तक ही अनुमन्यता होगी।

......2/-

2.3 **रीफर व्हीकल्स/ मोबाइल प्री-कूलिंग वैन क्रय हेतु ब्याज उपादान :**

मिशन की आवश्यकता के दृष्टिगत योजनान्तर्गत रीफर व्हीकल्स/ मोबाइल प्री-कूलिंग वैन के क्रय पर होने वाले व्यय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अथवा वास्तविक ब्याज की दर से, जो भी कम हो, अधिकतम 05 वर्षो हेतु अधिकतम रू. 50 लाख की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2.4 **मानकीकरण प्रोत्साहन प्राविधान :**

खाद्य प्रसंस्करण के उत्पादों का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य गुणवत्ता/पर्यावरणीय प्रमाणीकरण एवं एक्रीडिटेशन जैसेः आई.एस.ओ. 14001, आई.एस.ओ. 22000, एच.ए.सी.सी.पी. / सेनेट्री / फाइटोसेनेट्री सर्टीफिकेशन आदि हेतु राज्य सरकार द्वारा वास्तविक रूप से भुगतान की गयी फीस एण्ड टेस्टिंग चार्ज के सापेक्ष 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.50 लाख अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी।

2.5 **पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण प्राविधान :**

पेटेन्ट/डिजाइन के पंजीकरण हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा अधिकृत संगठनों/संस्थानों को भुगतान की गयी फीस का 75 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.50 लाख अनुदान प्रतिपूर्ति एक बार देय होगी।

2.6 **बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन प्राविधान :**

प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को विपणन के लिए बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु निम्नांकित अनुदान एवं रियायतें उपलब्ध करायी जायेंगी :-

2.6.1 प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को उनके द्वारा उत्पादित उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अन्य देशों में उत्पाद का नमूना (सैम्पल) प्रेषित करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 2 लाख प्रति लाभार्थी अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान एक इकाई को एक देश एवं एक नमूना तक सीमित होगा।

2.6.2 राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु एयरपोर्ट/समुद्री पोर्ट तक उत्पाद परिवहन पर होने वाले वास्तविक व्यय का 25 प्रतिशत, रू. 10 लाख प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक तीन वर्षों तक प्रति लाभार्थी अनुदान दिया जायेगा।

2.6.3 राज्य में उत्पादित प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु उत्पाद की एफ.ओ.बी. मूल्य का 20 प्रतिशत अधिकतम रू. 20 लाख प्रति वर्ष की दर से अधिकतम तीन वर्षों तक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

3. **आवेदन पत्र की प्राप्ति :-**

वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित रुप पत्र पर (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं नम्बर डालकर) आवेदन वांछित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में स्टेट नोडल एजेन्सी (निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0) को प्रस्तुत करेगें।

3.1 उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण से सम्बन्धित आवेदन व्यवसायिक उत्पादन शुरु किये जाने से कम से कम दो माह पूर्व नोडल एजेन्सी को प्राप्त होना आवश्यक है। व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के उपरान्त उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्रों पर कार्यवाही नही की जायेगी। अनुदान हेतु आवेदन किये जाने की तिथि को शत-प्रतिशत निर्माण कार्य, मशीन एवं उपकरणों की स्थापना तथा शत-प्रतिशत टर्म लोन उपयोग होने की दशा में अनुदान हेतु आवेदन ग्राह्य नहीं होगा।

3.2 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की प्रधानमन्त्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत मेगा फूड पार्क व फल सब्जी आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा प्रस्ताव सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र के साथ प्रस्तुत किये जायेगें।

3.3 उद्योगों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण हेतु ब्याज उपादान के आवेदन व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ करने के विलम्बतम छः माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जायेगें।

3.4 रीफर व्हेकिल/मोबाइल प्री-कुलिंग वैन हेतु ब्याज उपादान के आवेदन संस्थाओं द्वारा रीफर वैन क्रय करने तथा व्यवसायिक कार्य में आने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जायेगें।

3.5 मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण, बाजार विकास एवं ब्राण्ड प्रोमोशन तथा बैंकेबुल प्रोजेक्ट सम्बन्धी आवेदन इकाई के व्यवसायिक उत्पादन में आने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त किये जायेगें।

4. **कार्य क्षेत्र :-** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

5. **पात्र सेक्टर :** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण के निम्नांकित उद्योग सम्मिलित होंगे :-

- फल एवं सब्जी, पुष्प, मसाले, शहद, औषधीय एवं संगन्ध फसलें एवं मशरूम प्रसंस्करण।
  कृषि उत्पाद यथा खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के प्रसंस्कृत उत्पाद।

.....3/-

- कृषि उत्पाद जैसे-मिल्क पाउडर, शिशु दुग्ध आहार, माल्टेड मिल्क फूड, कन्डेन्स्ड मिल्क, घी तथा अन्य डेयरी उत्पाद, पोल्ट्री और अण्डा, माँस तथा माँस उत्पाद का प्रसंस्करण।
- मछली प्रसंस्करण।
- डबलरोटी, तिलहन, भोजन (खाद्य), नाश्ता आहार, मिष्ठान (कोको प्रसंस्करण और चॉकलेट उत्पादन समेत), माल्टेड एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन आइसोलेट, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य, वीनिंग फूड और एक्सट्रूडेड खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए विशेषीकृत पैकेजिंग।
- रीफर व्हीकल्स/मोबाइल प्री-कूलिंग वैन।
- पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं एग्रो प्रोसेसिंग कलस्टर आधारित इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन।

6. **पात्र संस्थायें :** खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/उन्नयन/आधुनिकीकरण हेतु सभी क्रियान्वयन संस्थायें/संगठन यथा-राजकीय/अर्धसरकारी/संयुक्त उपक्रम/गैर सरकारी संगठन/सहकारी संस्थायें/ स्वयंसेवी संस्थायें/ निजी क्षेत्र/व्यक्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगें।

7. पात्र/अपात्र घटक :

(क) तकनीकी सिविल कार्य :

इण्डस्ट्री में उत्पाद से सम्बन्धित उत्पादन प्रयोजन के निमित समस्त सिविल कार्य तकनीकी सिविल कार्य की पात्रता में सम्मिलित होगें। सिविल कार्य से सम्बन्धित वे सभी कार्य जो उत्पादन या प्रसंस्करण से सम्बन्धित नहीं होगें वह इसके अन्तर्गत शामिल नहीं किये जायेंगें। निम्नलिखित सिविल कार्य को तकनीकी सिविल कार्य की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :-

(1) चहारदीवारी।
(2) सम्पर्क मार्ग।
(3) प्रशासनिक कार्यालय भवन।
(4) प्रसाधन कक्ष।
(5) श्रमिक विश्राम गृह और श्रमिकों हेतु क्वाटर्स।
(6) सफाई कक्ष।
(7) सिक्योरिटी गार्ड कक्ष या समकक्ष।
(8) सम्बन्धित परामर्श शुल्क।

(ख) प्लान्ट एवं मशीनरी :

इण्डस्ट्री में उत्पाद के दृष्टिगत खाद्य प्रसंस्करण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं से सम्बन्धित समस्त उपकरण एवं मशीनरी योजनान्तर्गत पात्रता में सम्मिलित की जायेंगी :-

(1) सार्टिंग, ग्रेडिंग, वाशिंग, पीलिंग, कटिंग व साईजिंग।
(2) ब्लांन्चिग, क्रसिंग, एक्सट्रेक्शन, पल्पिंग।
(3) ड्राइंग, डिहस्किंग,डीहलिंग, स्प्लिटिंग, डीपॉडिंग, डीसीडिंग, कलर सार्टिंग, पल्वेलाईजेशन, एक्सट्रूजन, फ्रीज ड्राइंग/डीहाइड्रेशन, फ्राइंग आदि।
(4) पाश्च्युराईजेशन, होमोजेनाईजेशन, इवैपोरेशन, कन्सट्रेशन आदि।
(5) कैनिंग, एसेप्टिक पैकेजिंग, वैक्यूम पैकेजिंग, बाटलिंग, इडेबिल पैकेजिंग, लेबेलिंग तथा अन्य विशेष पैकेजिंग आदि।
(6) केमिकल प्रिजरवेशन, पिकलिंग, फरमेन्टेशन तथा प्रसंस्करण हेतु अन्य विशेष सुविधायें आदि।
(7) इंडीव्यूजवल क्विक फ्रीजिंग (आई.क्यू.एफ.), ब्लास्ट फ्रीजिंग, प्लेट फ्रीजिंग, स्पायरल फ्रीजिंग आदि।
(8) कन्ट्रोल्ड टेम्प्रेचर, ट्रान्सपोर्ट-कूलर/रेफ्रीजेरेटेड/इंशुलेटेड/वेन्टीलेटेड ट्रान्सपोर्ट।
(9) अन्य समस्त प्रसंस्करण/परिरक्षण/यातायात भण्डार सुविधायें जो कि मूल्य संवर्धन एवं सेल्फ लाइफ बढ़ाने से सम्बन्धित हो, पात्र होंगे ।

प्लाण्ट एवं मशीनरी में निम्नलिखित को पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :-

(1) इंधन/तेल, उपभोग की वस्तुयें और भण्डार सामग्री।
(2) विद्युत सामग्री (मशीनों में स्थापित उपकरणों को छोड़ कर)।
(3) कम्प्यूटर्स और सम्बन्धित कार्यालय फर्नीचर।
(4) परिवहन वाहन।
(5) स्थापन, संस्थापन और कमीशनिंग शुल्क।
(6) उपयोग की गयी/पुरानी मशीनें/मरम्मत की हुई मशीनरी।
(7) समस्त प्रकार के सेवा शुल्क और परिवहन शुल्क।

.....4/-

(8) मशीनरी की पेन्टिंग का व्यय।
(9) क्लोज सर्किट टीवी कैमरा और सम्बन्धित उपकरण।
(10) सम्बन्धित परामर्श शुल्क।
(11) स्टेशनरी से सम्बन्धित सामग्री।

8. आवेदन प्रपत्र के साथ वांछित अभिलेख :-

8.1 पूँजी निवेश अनुदान एवं ब्याज उपादान योजनान्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण उन्नयन, प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत फल एवं शाक-भाजी इकाईयों हेतु वांछित अभिलेख।

(1) निर्धारित रूप पत्र **(एनेक्जर-ए)** पर पूर्ण अंकन सहित आवेदन पत्र।
(2) संस्था द्वारा स्वप्रमाणित विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0)।
(3) बैंक/वित्तीय संस्था का टर्म लोन हेतु स्वीकृति पत्र।
(4) बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा संस्था के प्रस्ताव (डी0पी0आर0) हेतु निर्गत अप्रेजल रिपोर्ट, जिसमें स्वीकृत प्लाण्ट मशीनरी एवं स्पेयर पार्टस तथा सिविल कार्य कार्य की गणना का विवरण अनिवार्य रूप से सम्मिलित हो।
(5) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचरों को भली भॉति परीक्षण कर लिया गया है और वह नियमानुसार ठीक हैं । **(एनेक्जर-ए/2)**
(6) क्रय की गई मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यवार निर्धारित प्रारूप पर चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल वाउचर्स की अच्छी तरह जॉच कर ली गई है और वह नियमानुसार ठीक हैं। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण।**(एनेक्जर-ए/3)**
(7) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इन्जीनियर (सिविल) द्वारा तकनीकी सिविल कार्य का मदवार एवं लागतवार(मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) प्रमाणित विवरण। **(एनेक्जर-ए/7)**
(8) निर्धारित प्रारूप पर चार्टर्ड इन्जीनियर (मेकैनिकल) द्वारा प्लान्ट-मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स (मूल बिल की प्रमाणित प्रति सहित) का प्रमाणित विवरण।**(एनेक्जर-ए/8)**
(9) संस्था/संगठन का पंजीकरण/सर्टीफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन, मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिक्लस ऑफ एसोशिएसन और समिति का बाई-लाज (यदि लागू हो)/पार्टनरशिप डीड इत्यादि।
(10) संगठन के आफिस बियरर/प्रोमोटर का स्वहस्ताक्षरित बायो-डाटा।
(11) विस्तारीकरण/उच्चीकरण की दशा में, पिछले तीन वर्षो हेतु चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित आडिटेड स्टेटमेण्ट और वार्षिक प्रतिवेदन।
(12 बिल्डिंग प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदित ब्लू प्रिन्ट एवं उद्योगशाला का भू-अभिलेख (हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में)।
(13) लघु उद्योग (एस0एस0आई0)/इन्डस्ट्रीयल इण्टरप्रेनियर्स मेमोरैन्डम (आई0ई0एम0)/उद्योग आधार पंजीकरण इत्यादि।
(14) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र।
(15) अकृषि भूमि का सक्षम स्तर से जारी प्रमाणपत्र।
(16) अग्निशमन प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी)।
(17) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त (एफ.एस.एस.ए.आई.)पंजीकरण/ लाइसेंन्स।
(18) मांस प्रसंस्करण इकाई हेतु जिला प्रशासन से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
(19) परियोजना से सम्बन्धित अन्य लाइसेंस ।
(20) रू. 100/- के नान जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र की उसके द्वारा प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत समस्त अभिलेख सत्य एवं सही हैं तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। **(एनेक्जर-ए/6)**
(21) रू. 100/- के नान जुडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Agreement of Indemnity)। **(ब्याज उपादान हेतु एनेक्जर-ए/9)**
(22) क्रियान्वयन समय सारणी, जिसके अन्तर्गत :-
(अ) भूमि अधिग्रहण की तिथि।
(ब) भवन निर्माण प्रारम्भ होने की तिथि।
(स) निर्माण पूर्ण होने की तिथि।
(द) प्लान्ट और मशीनरी के क्रय हेतु आदेश निर्गत करने की तिथि।
(य) प्लान्ट और मशीनरी के स्थापन/संस्थापन की तिथि।
(र) उत्पादन के ट्रायल की तिथि।
(ल) व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की तिथि।

.....5/-

8.2 ब्याज उपादान हेतु प्रस्तर 8.1 में वर्णित अभिलेख के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से निम्नांकित अभिलेख उपलब्ध कराने होगें :-

8.2.1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि (व्यवसायिक कार्य चालन अर्थात प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि) से सम्बंधित प्रमाण पत्र (इकाई हेतु ब्याज उपादान सम्बन्धी)।

8.2.2 निर्धारित प्रारूप पर बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ब्याज उपादान/अनुदान हेतु बैंक क्लेम प्रपत्र। (एनेक्जर- ए/14)

8.2.3 निर्धारित प्रारूप **(एनेक्जर-ए/4)** पर चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

8.2.4 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि हेतु अवमुक्त आदेश। (सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रस्तावों हेतु)

8.2.5 बैंक द्वारा पांच वर्षों हेतु वर्षवार ब्याज भुगतान हेतु निर्गत प्रमाण पत्र। **(एनेक्जर-ए/13)**

8.3 प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत स्वीकृत मेगा फूड पार्क इकाईयों हेतु निर्धारित प्रारूप **(एनेक्जर-बी)** पर आवेदन के साथ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि अवमुक्त करने के सापेक्ष संस्था द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की मंत्रालय द्वारा सत्यापित प्रतियां।

8.4 रीफर व्हेकिल्स/मोबाईल प्री-कूलिंग वैन्स हेतु वांछित अभिलेख :

(1) निधारित रूप पत्र पर आवेदन। **(एनेक्जर-सी)**
(2) स्वप्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0)।
(3) बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा टर्म लोन का स्वीकृति पत्र।
(4) बैंक/वित्तीय संस्थान का अप्रेजल रिपोर्ट।
(5) संस्था का पंजीकरण/सर्टिफिकेट ऑफ इनकारपोरेशन, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकिल्स ऑफ एसोशिएसन और सोसायटी का बाईलॉज/पार्टनरशिप डीड इत्यादि।
(6) संस्था के प्रोमोटर का बायोडाटा/पृष्ठभूमि।
(7) रीफर व्हेकिल्स/मोबाईल प्री-कूलिंग वैन्स हेतु बिल/बाउचर/एनवाइस की प्रतियां जो चार्टर्ड इन्जीनियर (मेकैनिकल) द्वारा अभिप्रमाणित हो।
(8) बैंक से प्रमाणित वाहन की चैसिस, बॉडी और रेफ्रीजरेशन यूनिट का डिलेवरी चालान और रसीद।
(9) बैंक से प्रमाणित वाहन की चैसिस, बॉडी और रेफ्रीजरेशन यूनिट की इनवाइस की प्रति।
(10) बैंक द्वारा ब्याज भुगतान हेतु निर्गत समय सारणी (Repayment Schedule of term loan.)।
(11) न्यूनतम रू. 100 के नान-जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र कि -
  (अ) संस्था द्वारा रीफर व्हैकिल्स/प्री-कूलिंग वैन्स का इस्तेमाल अपनी यूनिट/जॉब बेसिस पर परिवहन (उत्पाद का नाम) हेतु किया जायेगा।
  (ब) यह कि संस्था द्वारा जॉब वर्क के लिए स्टेक होल्डर के साथ टाई-अप किया गया है।
  (स) यह कि मैं रीफर व्हैकिल्स/प्री-कूलिंग वैन्स का इस्तेमाल अन्य उद्देश्यों हेतु नहीं किया जायेगा।
(12) न्यूनतम रू. 100 के नान-जुड़ीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरीकृत इस आशय का शपथ पत्र कि-
  (अ) कि संस्था/इसके सहयोगी संस्था/कम्पनी/समूह की कम्पनी अथवा आवेदक के स्वयं की कम्पनी द्वारा इस प्रोजेक्ट हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार अथवा अन्य से पूर्व में कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गयी है। यदि हाँ, तो उसका विवरण साक्ष्यों सहित।
  (ब) यह कि संस्था द्वारा किसी मंत्रालय/भारत सरकार के विभाग/भारत सरकार की संस्था/संगठन और राज्य सरकार से इस प्रयोजन के लिए के लिए न तो आवेदन किया गया है और न ही सहायता प्राप्त की गयी है।
(13) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत रीफर वैन के वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रारम्भ करने की तिथि (व्यवसायिक कार्य चालन अर्थात प्रथम वाणिज्यिक लेन-देन की तिथि) से सम्बंधित प्रमाण पत्र।
(14) रीफर व्हीकल/मोबाईल प्री-कूलिंग वैन हेतु बैंक क्लेम प्रपत्र। **(एनेक्जर-ए/15)**

8.5 मानकीकरण प्रोत्साहन, पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण, बाजार विकास हेतु वांछित अभिलेख :

1. निर्धारित प्रारूप (एनेक्जर-डी) पर आवेदन ।
2. विस्तृत परीयोजना प्रस्ताव।
3. पिछले तीन वर्षों हेतु संस्था के सम्प्रेक्षित आर्थिक चिट्ठे।
4. एस0एस0आई0/आई0ई0एम0 की प्रति।
5. संस्था का पंजीकरण/सर्टिफिकेट ऑफ इनकारपोरेशन, मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकिल्स ऑफ एसोशिएसन और सोसायटी का बाईलॉज/पार्टनरशिप डीड इत्यादि।
6. संस्था के प्रोमोटर का बायोडाटा/पृष्ठभूमि।
7. कन्सलटेन्ट एजेन्सी से प्राप्त परामर्श शुल्क की प्राप्ति रसीद, प्रमाणीकरण संस्था से प्राप्त शुल्क भुगतान की प्रति, एक्रीडिटेशन हेतु एजेन्सी से प्राप्त शुल्क भुगतान की प्रति (मानकीकरण प्रोत्साहन हेतु)

.....6/-

8. पेटेन्ट/डिजाइन पंजीकरण हेतु भुगतान किये गये शुल्क भुगतान की प्रति।
9. विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी0पी0आर0) तैयार कराने हेतु संस्थान को किये गये भुगतान की रसीद, बैंक ऋण स्वीकृति, अवमुक्त सम्बन्धी अभिलेख।
10. आयात निर्यात लाइसेन्स की प्रति, भूतल परिवहन पर वास्तविक शुल्क के सापेक्ष बिल एवं रसीदों, ट्रान्सपोर्ट बिल्टी, आयातक देश से निर्गत उत्पाद मांग पत्र, उत्पाद का फाइटोसेनेटरी/हेल्थ प्रमाण-पत्र, कस्टम क्लीयरेंस व ड्यूटी भुगतान की प्रति, फ्रेट चार्जेज भुगतान की प्रति, आयातक देश में पोर्ट क्लीयरेंस की प्रतियां (बाजार विकास प्रस्ताव हेतु)।

9 . पूँजीगत अनुदान स्वीकृत एवं अवमुक्त करने की प्रक्रिया :

अनुदान/वित्तीय सहायता सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति और अनुमोदन के पश्चात दो समान किश्तों में जारी की जायगी। अनुदान धनराशि अप्रेजिंग बैंक को अवमुक्त की जायेगी, जिसे बैंक द्वारा सावधि ऋण अवधि में उद्यमी/ऋण प्राप्तकर्ता के नाम से फिक्स डिपाजिट के रूप में रखी जायेगी, जिस पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा तथा अनुदान धनराशि के बराबर संस्था द्वारा लिये गये सावधि ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किश्त की धनराशि व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ होने /अनुदान धनराशि अवमुक्त होने के तीन वर्ष बाद उद्यमी के ऋण खाते में समायोजित की जायेगी। यदि संस्था द्वारा तीन वर्षो के पहले इकाई बन्द कर दी जाती है तो बैंक में रखी फिक्स डिपाजिट धनराशि मय ब्याज स्टेट नोडल एजेन्सी विभाग को वापस करनी होगी।

9.1 (क) पूँजीगत अनुदान की प्रथम किश्त का अवमुक्त किया जाना:

संस्था/फर्म द्वारा टर्म लोन की 50% धनराशि तथा प्रोमोटर अंश की 50% धनराशि व्यय कर लिये जाने, संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिये जाने तथा निम्नलिखित अभिलेख जमा करने के उपरान्त अनुदान की प्रथम किश्त अवमुक्त की जायेगी :-

(1) लाभार्थी/संस्था द्वारा रू. 100/- के नान जुड़िशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षतिपूर्ति अनुबन्ध (Agreement of Indemnity) पत्र **(एनेग्जर-ए/9)**

(2) लाभार्थी/संस्था द्वारा रू.100/- के नान-जुड़ीशियल स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर नोटरीकृत शपथ पत्र कि उसके द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य संस्था/संगठन से वित्तीय अनुदान न तो प्राप्त किया गया है और न ही आवेदन किया गया है। **(एनेग्जर-ए/10)**

(3) बैंक/वित्तीय संस्था से 50% टर्म लोन अवमुक्त किये जाने तथा उसके सदुपयोग किये जाने एवं बैंक द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनको राज्य द्वारा अनुदान की प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। **(एनेग्जर-ए/12)**

(4) चार्टेड एकाउण्टेन्ट द्वारा अपने सदस्यता नम्बर सहित लेटर हेड पर निर्धारित रूप पत्र पर परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित्त के स्रोत एवं 50% या अधिक अंश पूँजी और टर्म लोन के व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र **(एनेग्जर-ए/4)**

(5) क्रय की गई मशीन उपकरणों का वस्तुवार मूल्यल्यवार निर्धारित प्रारूप पर सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल वाउचर्स की अच्छी तरह जॉच कर ली गई है और वह ठीक हैं। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। **(एनेग्जर-ए/3)**

(6) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचरों को भली भॉति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक हैं। **(एनेग्जर-ए/2)**

(7) चार्टड इंजीनियर सिविल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार किये गये निर्माण का विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता औद्योगिक उपयोग हेतु ठीक है तथा इसके साथ बिल्डिंग के प्रमाणित फोटोग्राफ दिनांक सहित **(एनेग्जर-ए/7)**

(8) चार्टड इंजीनियर मैकेनिकल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि क्रय किये गये समस्त मशीन उपकरण नवीन हैं तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। इकाई के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मशीन उपकरणों की प्रमाणित सूची **(एनेग्जर-ए/8)**

(9) अनुदान की प्रथम किश्त अवमुक्त से पूर्व निदेशालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा स्थलीय सत्यापन कराया जायेगा एवं समिति की संस्तुति के अनुसार अनुदान के भुगतान की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

(10) किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त प्रथम किश्त सम्बन्धी आदेश। (यदि लागू हो)

9.2 (ख) पूंजीगत अनुदान की द्वितीय किश्त का जारी किया जाना:

अनुदान की द्वितीय किश्त इकाई में व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की पुष्टि होने के बाद संयुक्त निरीक्षण दल (जे0आई0टी0) द्वारा भौतिक सत्यापन कर लिये जाने तथा संस्था द्वारा टर्म लोन की 100% धनराशि तथा प्रोमोटर अंश की 100% धनराशि के साथ-साथ अनुदान की प्रथम किश्त उपयोग कर लिये जाने सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने के उपरान्त जारी की जायेगी :-

.....7/-

(1) लाभार्थी/संस्था के प्रोमोटर द्वारा हस्ताक्षरित तथा चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा अभिप्रमाणित और बैंक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रपत्र सं0- जी0एफ0आर0 19 ए पर उपयोगिता प्रमाणपत्र। **(एनेग्जर-ए/5)**

(2) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर परियोजना हेतु किये गये वास्तविक व्यय तथा वित्त के स्रोत एवं 100% अंश पूँजी और टर्म लोन के व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र। **(एनेग्जर-ए/4)**

(3) बैंक/वित्तीय संस्था से इस आशय का प्रमाणपत्र की उनके द्वारा 100%टर्म लोन और अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है और उन्हे राज्य द्वारा अनुदान की द्वितीय किश्त अवमुक्त करने में कोई आपत्ति नहीं है। **(एनेग्जर-ए/12)**

(4) क्रय की गई मशीन उपकरणों का वस्तुवार मुल्यवार निर्धारित प्रारूप पर सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विवरण और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा समस्त बिल वाउचर्स की अच्छी तरह जॉच कर ली गई है और वह ठीक हैं। बिलवार/बाउचरवार भुगतान चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित का विवरण। **(एनेग्जर-ए/3)**

(5) किये गये निर्माण कार्य हेतु वस्तुवार मूल्यवार सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त बिल वाउचरों को भली भॉति परीक्षण कर लिया गया है और वह ठीक हैं। **(एनेग्जर-ए/2)**

(6) चार्टड इंजीनियर सिविल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार किये गये निर्माण का विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता औद्योगिक उपयोग हेतु ठीक है तथा इसके साथ बिल्डिंग के प्रमाणित फोटोग्राफ दिनांक सहित। **(एनेग्जर-ए/7)**

(7) चार्टड इंजीनियर मैकेनिकल द्वारा प्रदत्त वस्तुवार मूल्यवार मशीन उपकरणों का निर्धारित प्रारूप पर विवरण तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि क्रय किये गये समस्त मशीन उपकरण नवीन हैं तथा गुणवत्ता संतोषजनक है। इकाई के विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण की स्थिति में पूर्व से उपलब्ध मशीन उपकरणों की प्रमाणित सूची। **(एनेग्जर-ए/8)**

(8) नोटरीकृत जमानती शपथ पत्र- निर्धारित रूप पत्र पर दी गयी सूचनायें सत्य हैं इस आशय का नोटरीकृत प्रमाणपत्र संलग्न किया जायेगा। **(एनेग्जर-ए/6)**

(9) निदेशालय द्वारा गठित संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा की गयी स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाये की परियोजना का सम्पूर्ण कार्य पूर्ण हो गया है तथा इकाई व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ कर चुकी है। इकाई को द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(10) किसान सम्पदा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त द्वितीय किश्त सम्बन्धी आदेश। (यदि लागू हो)

(10.1) मेगा फूड पार्क हेतु संस्था के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त धनराशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान धनराशि अवमुक्त करने के सापेक्ष (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सत्यापित) आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

10. ब्याज उपादान की स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया : आवेदक संस्था द्वारा प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर पार्टस अथवा रीफर व्हेकिल/मोबाईल प्री-कूलिंग वैन (एक या एक से अधिक) हेतु बैंक द्वारा वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप **(एनेक्जर-ए/13, ए/14 तथा रीफर व्हेकिल हेतु ए/15)** पर जारी प्रमाण-पत्र स्टेट नोडल एजेन्सी फूड प्रोसेसिंग को उपलब्ध कराना होगा। आवेदन-पत्र **(एनेक्जर-ए अथवा सी)** वांछित प्रपत्रों के साथ प्राप्त होने के पश्चात सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। तत्पश्चात इकाई से नॉन-जूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्राधिकृत संस्था के साथ क्षतिपूर्ति अनुबन्ध **(एनेक्जर-ए/9)** सम्पादित कराया जायेगा। अनुबन्ध के उपरान्त स्टेट नोडल एजेन्सी द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ब्याज उपादान धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

11.. उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण नीति-2017 के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों हेतु रियायतें एवं अनुदान सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए शासकीय व्यय की व्यवस्था खाद्य प्रसंस्करण विभाग के आय-व्ययक में प्रति वर्ष कराया जायेगा।

12. नोडल एजेन्सी/नोडल विभाग :

12.1 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, इस नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण लिए नोडल विभाग होगा तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय इस नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल एजेन्सी होगा।

12.2 निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश नीति के पदेन निदेशक होंगे तथा वह राज्य इम्पावर्ड कमेटी के निर्देशन में कार्य करेंगे एवं योजना के क्रियान्वयन, संचालन, अनुश्रवण हेतु समय-समय पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इसके लिए निदेशालय में पृथक सेल बनाया जायेगा जो नीति के कार्यो के संचालनार्थ, समयबद्ध क्रियान्वयन, अनुश्रवण, अभिलेखों का रख-रखाव एवं आडिट आदि सम्बन्धित कार्यो को करेगा।

13. प्रशासनिक व्यय :

13.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वीकृत लाभों की धनराशि के 2 प्रतिशत के बराबर की राशि के प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति स्टेट नोडल एजेन्सी को की जायेगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा लिया जायेगा।

.....8/-

13.2 वृहत खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों एवं मेगा फूड पार्क के प्रकरणों में आवेदक द्वारा स्वीकृत लाभों की धनराशि के 1.5 प्रतिशत के बराबर की राशि के प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति स्टेट नोडल एजेन्सी को की जायेगी व इस राशि को वितरण की राशि में से घटा लिया जायेगा।

14. विविध :

14.1 नीति के अन्तर्गत स्वीकृत राशि का लेखा शीर्षक वित्त विभाग द्वारा आवंटित किया जायेगा। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उक्त लेखा शीर्षक के नियंत्रक व प्राक्कलन अधिकारी होगें, लेखा शीर्षक के बजट एवं पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुपूरक मांग का प्रस्ताव करेगें।

14.2 अन्य विभागों से सम्बन्धित सुविधाओं हेतु बजट प्राविधान सम्बन्धित विभागों द्वारा किये जायेगें।

14.3 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के किसी बिन्दु के स्पष्टीकरण देने का अधिकार मूल नीति के प्राविधानों को बिना प्रभावित किये, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0, शासन को होगा।

14.4 इस नियमावली के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूपों में किसी प्रकार के संशोधन अथवा परिवर्तन किये जाने हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग सक्षम होगें।

14.5 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थिति न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

भवदीय,

संलग्नक::यथोक्त।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या- 36 /2017/1343/58-2-2017, तद्दिनांक::

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,पंचशील भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रामि एवं द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(4) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमतीनगर, लखनऊ।
(7) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानुपर।
(8) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु लखनऊ।
(9) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(10) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 को इस आशस से कि इस शासनादेश एवं गाइड लाइन की 1500 प्रतियां मुद्रित कराकर खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-1
(12) गार्ड फाईल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।